न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 14/2017

वादीः–

1. गेनाराम पुत्र जोगारामजी, जाति पीटल, निवासी बल्दो की ढाणी, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. मुस्मात् सकुड़ी पुत्री जीवारामजी, जाति पीटल, निवारी बल्दो की ढाणी, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)
3. मैनजर – मारवाड़ ग्रामीण बैंक, शाखा पाली, तहसील पाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1

वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–ः**निर्णय**ः– दिनांक 31.10.2019

1. इस वाद में दिनांक 08–05–2018 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम बल्दों की ढाणी में स्थित खसरा नंबर 48 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा किस्म सेवज दोयम सालाना लगान 15.30 रूपये का खातेदारों के उनके 1/2,1/2 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाबदावा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची 'अ' के अनुरूप बंटवाडा किया जाकर खातेदारों के पृथक–2 खसरा नंबर, रकबा एवं लगान का निर्धारण कर प्रस्तावित बंटवाड़ा का नजरी नक्शा में दर्शित करते हुए प्रस्ताव तैयार करवा कर भिजवाने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया गया।

2. तहसीलदार, पाली ने उनके पत्रांक/राजस्व/18/1706 दिनांक 12–11–18 के द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया। जिसको शामिल मिसल किया गया।

3. अतः अंतिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि तहसीलदार, पाली द्वारा प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा को इस अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाकर सरहद मौजा ग्राम बल्दों की ढाणी में स्थित खसरा नंबर 48 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा किस्म सेवज दोयम सालाना लगान 15.30 रूपये का खातेदारों के उनके 1/2, 1/2 हिस्से की भूमि का बंटवाडा किया जाकर खातेदारों के पृथक–2 खसरा नंबर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है :–

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान
1.	गेनाराम पुत्र जोगाराम कौम पिटल सा. देह खातेदार	48	10.04	से0दो0	7.65
2.	मु. सकूड़ी पुत्री जीवाराम कौम पिटल सा. देह खातेदार	48/1	10.04	से0दो0	7.65
	योगः–	2	20.08		15.30

सहायक कलेक्टर
पाली

तहसीलदार, पाली उपरोक्त बंटवाड़ा का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम करवा कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करें। अंतिम डिक्री परचा मुर्तिब हो। इस निर्णय, अंतिम डिक्री एवं नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, पाली को माफिक डिक्री पालना करने हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner